

पत्र संख्या : ८८/४७०१ यो०ज०स०-१२/१३

२४

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

एस० के० शतपथी,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, देवघर;
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

रॅची, दिनांक : १.६.१३

विषय :-

मॉग संख्या- 49 -जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, उप-मुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-796-जन-जातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष-62-मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत चालू योजनाओं का निर्माण, विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 45 मुख्य निर्माण कार्य, विपत्र कोड 49P470180796620545 के अन्तर्गत व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2013-2014 में निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2013-2014 में बजट मुख्य शीर्ष 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजी परिव्यय के अंतर्गत परिशिष्ट-1 में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को परिशिष्ट-2 में वर्णित कार्यों पर व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्र.	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रु. में)
1	2	3	4	5
1.	49-जल संसाधन विभाग/ 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय/ 80-सामान्य	796- जन- जातीय क्षेत्रीय उपयोजना/ 62 -मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत चालू योजनाओं का निर्माण	05-निर्माण, 45 मुख्य निर्माण कार्य, 49P470180796620545	588.59

आवंटित राशि - ₹ पाँच करोड़ अठासी लाख उनसठ हजार मात्र।

- आवंटित राशि वर्ष 2013-14 के बजट उपबंध रु. 1705.00 लाख (सतरह करोड़ पाँच लाख) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्त वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98 एवं 1800 (वि.) वि. 15.07.2003 के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति (परिशिष्ट 1 के स्तंभ 6 में वर्णित) एवं तकनीकी स्वीकृति के अंतर्गत परिशिष्ट-2 में वर्णित कार्यों हेतु किया जायेगा।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
- सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।

(सुरेश प्रसाद भगत)

सहायक अभियंता

(सुबोध कुमार सिन्हा)

संयुक्त सचिव (अभि.)

(बी. सी. निगम)

विशेष सचिव

मा।

8. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
12. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षन्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
13. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 जनवरी 2014 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।
अनुलग्नक—यथोक्त।

ज्ञापांक :—

24

रॉची, दिनांक :— 1.6.13

लाल
(एस० के० शतपथी)

प्रधान सचिव

प्रतिलिपि :— महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो. — हिनू रॉची/कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा/रॉची/देवघर सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक—यथोक्त।

ज्ञापांक :—

24


रॉची, दिनांक :— 1.6.13

लाल
(एस० के० शतपथी)


प्रधान सचिव

प्रतिलिपि :— प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त, सचिव योजना एवं विकास विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) रॉची/अभियंता प्रमुख —। एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.) जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अंतिरिक्त प्रतियों में/सारिव्यकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/ प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अनुलग्नक—यथोक्त।


(सुरेश प्रसाद भगत)

सहायक अभियंता


(सुबोध कुमार सिंह)

संयुक्त सचिव (अभि.)


(बी. सी. निगम)

विशेष सचिव


(एस० के० शतपथी)

प्रधान सचिव

1. *Leucania* *luteola* (Hufnagel) *luteola* (Hufnagel) *luteola* (Hufnagel) *luteola* (Hufnagel)

१८१

A decorative floral ornament at the top of the page, featuring a stylized flower with a central stem and leaves, surrounded by smaller floral motifs.

A vertical column of handwritten numbers from 1 to 100. The numbers are written in a cursive script. There is a noticeable break in the sequence between the 50s and 51s, with the 50s appearing on the left and the 51s appearing on the right. The numbers are arranged in a descending order from top to bottom.

The image contains four vertical columns of Chinese characters, likely from a page of a book. The characters are arranged in two rows per column. To the right of these columns is a detailed, black-and-white line drawing of a centipede, showing its segmented body and numerous legs.

पत्रांक :-

24.

दिनांक 1.6.13

का अनुलग्नक


परिशिष्ट - 2

विपत्र कोड 49P470180796620545

क्र.	प्रमाणित का नाम	योजना का नाम	कार्य का विवरण	पूर्व का आवंटन	आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	अभ्युक्ति		
1	2	3	4	5	6	7	8		
			B-Land						
1			1 Payment to displaced family/person at par with Revised Rehabilitation Policy 2012	0.00	100.00	100.00			
			C-Works						
			1 Construction of Dam from ch. 53 to ch. 70 (Agreement No. 2F2/1998-99)	0.00	150.00	150.00			
			2 Residual work of Dam from ch. 19.50 to 53.00	0.00	50.00	50.00			
			D-Regulator						
			1 Construction of Dam outlet at ch. 19.20	0.00	5.40	5.40			
			O-Miscellaneous						
			1 R.M to I/V	0.00	0.50	0.50			
			Total	0.00	305.90	305.90			
			C-Works						
2	पुनर्मी शिविर-देवधर	पुनर्मी जलाशय योजना	1 Construction of Spillway-Cum-Gate SBD-01/2010-11, Dated 22.09.12	0.000	100.000	100.000			
			2 Payment of GSI Kolkata for Advice	0.000	0.500	0.500			
			Total	0.000	100.500	100.500			
			B-Land						
3	प्रिंचाई प्रमाणित, जरीडीह	पुनर्मी जलाशय योजना	1 (i) Land Acquisition and preparation of plan for Nawadih disty	0.000	20.000	20.000			
			G-Bridges						
			2 (i) At chain 205.00 of PMC	0.000	15.000	15.000			
			(ii) P.M.C. At chain 401/403 of PMC Residual Work	0.000	20.000	20.000			
			(iii) At chain 418/421 of PMC	0.000	6.190	6.190			
			Total	0.000	61.190	61.190			


(सुरेश प्रसाद भगत)
सहायक अभियंता


(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)


(बी. सी. निगम)
विशेष सचिव


(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव।

क्र. No.	प्रमङ्गल का नाम	योजना का नाम	कार्य का विवरण	पूर्व का आबंटन	आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	अम्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
A-Preliminary							
			(i) S.I. and design data Submission of CDs & Bridges	0.000	1.000	1.000	
			(ii) S.I & D.P.R preparation of Branch Canal & Distributaries of P.M.C from 0 Km to 72.08 Km. (Expression of Intrest)	0.000	25.000	25.000	
			(iii) Fixation of TBM pillar from ch. 486 to 1370	0.000	2.000	2.000	
			F-CD Works				
			(i) Construction of C.D at chain 1321/1326 of P.M.C	0.000	38.000	38.000	
			L- Earthwork				0.000
			Earth work in P.M.C from Chainage 486 to 1370	0.000	50.000	50.000	
			O-Miscellneous				
			R/M to Atithishala at Deoghar	0.000	1.000	1.000	
			R/M to Colony at Deoghar	0.000	1.000	1.000	
			R/M to I.V	0.000	0.500	0.500	
			Residual work of Renovation of quality Control Building	0.000	2.500	2.500	
			Total	0.000	121.000	121.000	
			Grand Total	0.000	588.590	588.590	

आवंटित राशि - ₹ पाँच करोड़ अठासी लाख उनसठ हजार मात्र।


(मुरेश प्रसाद भगत)

सहायक अभियंता


(सुवोध कुमार सिंहा)

संयुक्त सचिव (अभि.)


(वी. सी. निगम)

विशेष सचिव


(एस० के० शतपथी)

प्रधान सचिव।